अनुदान संख्या 50 – चंडीगढ़
GRANT No. 50 - CHANDIGARH

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*44,41,00*	*31,63,73*	*-12,77,27*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*12,63,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3962,47,00	3987,14,00	3914,48,56	-72,65,44
पूरक	Supplementary	24,67,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				71,41,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*75,00,00*	*75,00,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	430,03,00	430,12,00	408,94,55	-21,17,45
पूरक	Supplementary	9,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				21,07,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	*O.*	*4031.00*	*2855.00*	*2844.12*	*-10.88*
पु.	*R.*	*-1176.00*			

(I) "उच्च न्यायालय – स्थापना" के अंतर्गत – *₹1174.16 लाख* की बचत (*₹3911.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(I) Under "High Courts - Establishment" - saving of *₹ 1174.16 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 3911.00 lakhs*) was due to non-filling up of posts of Hon'ble Judges of High Court.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹7265.44 लाख) फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹2467.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹7265.44 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2467.00 lakhs obtained in February, 2019 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	32164.00	32660.65	32640.86	-19.79
पु.	R.	496.65			
मुख्य शीर्ष "2015" निर्वाचन	Major Head "2015" Elections				
मू.	O.	800.00	50.10	50.00	-0.10
पु.	R.	-749.90			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2059"	Major head "2059"				
लोक निर्माण	Public Works				
मू.	O.	15450.00			
			14691.68	14683.31	-8.37
पु.	R.	-758.32			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	58341.00			
			54430.06	54417.12	-12.94
पु.	R.	-3910.94			
मुख्य शीर्ष "2203"	Major head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	8158.00			
पू.	S.	1.00	9630.42	9622.34	-8.08
पु.	R.	1471.42			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	41543.00			
			42046.64	42017.71	-28.93
पु.	R.	503.64			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major head "2215"				
जल आपूर्ति और स्वच्छता	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	6271.00			
पू.	S.	466.00	6262.69	6261.42	-1.27
पु.	R.	-474.31			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
विद्युत	Power				
मू.	O.	89906.00	89400.33	89400.09	-0.24
पु.	R.	-505.67			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	20368.00			
पू.	S.	2000.00	21402.27	21402.19	-0.08
पु.	R.	-965.73			

(I) ₹95.10 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹95.10 lakhs remained wholly unutilized under eight heads.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each :-

(का) मुख्य शीर्ष "2215" – "जल पूर्ति – ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – अन्य स्कीमें" – ₹1740.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2040.00 लाख किया गया जो, तथापि, कम सामग्री खरीद के कारण ₹122.01 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2215" – "Water Supply – Rural Water Supply Programmes – Other Schemes" – the original provision of ₹1740.00 lakhs was augmented to ₹2040.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹122.01 lakhs – due to purchase of less material.

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" – "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम – संचालन" – ₹15822.40 लाख के मूल प्रावधान को ₹2000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹17822.40 लाख कर दिया गया जो, तथापि, चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन न

(B) Major Head "3055" – "Chandigarh Transport Undertaking - Operation" - the original provision of ₹15822.40 lakhs was augmented to ₹17822.40 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2000.00 lakhs which, however, remained unutilised

किए जाने और कम बिल प्राप्त होने के कारण ₹823.39 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

to the extent of ₹823.39 lakhs – due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration and receipt of less bills.

(III) मुख्य शीर्ष "2015" – "पंचायतों/स्थानीय निकायों के चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार – नगर निगमों के चुनाव" – ₹750.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नगर निगमों तथा ग्राम पंचायतों के चुनावों का आयोजन न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2015" – "Charges for conduct of election to panchayats/local bodies – Election for Municipalities" – saving of ₹750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-conduction of elections of Municipalities and Gram Panchayats.

(IV) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – अनुरक्षण तथा मरम्मत – स्थापना" – ₹612.89 लाख की बचत (₹5423.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) Under Major Head "2059" – "General – Maintenance and Repairs - Establishment" – saving of ₹612.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5423.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं :–

(V) Under Major Head "2202" – savings occurred under the following heads :-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा – निदेशन और प्रशासन – प्राथमिक विद्यालय" – ₹1090.27 लाख की बचत (₹22421.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Elementary Education – Direction and Administration – Primary School" – saving of ₹1090.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22421.10 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration.

(खा) "विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – गैर–सरकारी कॉलेजों और संस्थानों को सहायता – निजी कॉलेजों को सहायता अनुदान" – ₹2967.75 लाख की बचत (₹6815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता अनुदान के वास्तविक हिस्से तथा चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुई।

(B) "University and Higher Education – Assistance to Non-Government Colleges and Institutes - Grants-in-aid to Private Colleges" – saving of ₹2967.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6815.00 lakhs) was due to actual share of Grant-in-aid and non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration.

(VI) मुख्य शीर्ष "2801" – "संचरण तथा वितरण – उचंत – स्टॉक" – ₹773.70 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय स्टोरों के लिए कम सामग्री की खरीद किए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2801" – "Transmission and Distribution – Suspense - Stock" – saving of ₹773.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to purchase of less material for Central Stores.

(VII) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1835.41 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक पंरतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक थीं।

(VII) Under five heads savings of ₹1835.41 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 50 percent of the sanctioned provision.

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1503.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2203" – "इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान – पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3.(I) The above savings were partly (₹1503.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2203" – "Engineering/ Technical Colleges and Institutes – Punjab Engineering Colleges".

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014" – "उच्च न्यायालय – स्थापना" – ₹733.03 लाख का अधिक व्यय (₹28106.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, बिजली और जल प्रभारों, कार्यालय सामग्री के मूल्यों में वृद्धि होने तथा उच्च न्यायालय का कंप्यूटरीकरण किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Major Head "2014" – "High Courts - Establishment" – excess of ₹733.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28106.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, electricity and water charges, increase in price of office material and computerisation of High Court.

(खा) मुख्य शीर्ष "2202" – "माध्यमिक शिक्षा – सरकारी माध्यमिक विद्यालय – माध्यमिक विद्यालय" – ₹658.45 लाख का अधिक व्यय (₹15099.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, आउटसोर्स वाले स्टॉफ की नियुक्ति, छात्रों के लिए सरकारी मुद्रणालय से प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) Major Head "2202"- "Secondary Education – Government Secondary Schools – Secondary Schools" - excess of ₹658.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15099.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, hiring of outsourced staff, printing of question papers and answer sheets for students from Government Presses.

(गा) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल तथा औषधालय – जनरल अस्पताल चंडीगढ़" – ₹905.23 लाख का अधिक व्यय (₹7482.35 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – शासकीय चिकित्सा कॉलेज" –

(C) Major Head "2210" –

(a) "Urban health Services - Allopathy – Hospitals and Dispensaries – General Hospital Chandigarh " – excess of ₹905.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7482.35 lakhs) ; and

(b) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Government

₹504.52 लाख का अधिक व्यय (₹24915.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

Medical College" - excess of ₹504.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24915.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वेतन, आउटसोर्स वाले स्टाफ की नियुक्ति किए जाने, दवाइयों तथा अस्पतालों में दैनिक इस्तेमाल की चीजों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

Excess under above two heads was due to requirement of additional funds towards salaries, hiring of outsourced staff, purchase of medicines and material for daily use in the hospital.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹418.11 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹418.11 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत हिस्से में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

4. In the voted portion of capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	10784.00			
पू.	S.	1.00	7435.23	7429.93	-5.30
पु.	R.	-3349.77			
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	8014.00			
पू.	S.	1.00	12427.42	12427.36	-0.06
पु.	R.	4412.42			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	3700.00			
			2659.73	2659.72	-0.01
पु.	R.	-1040.27			
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	3955.00			
पू.	S.	1.00	659.45	659.34	-0.11
पु.	R.	-3296.55			

(I) ₹6.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹6.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4202" – के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईः–

(II) Under Major Head "4202" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – भवन" – ₹1002.81 लाख की बचत (₹2110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी कॉलेजों में छात्रावास ब्लॉक के निर्माण की संशोधित ड्राईंग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "General Education – University and Higher Education - Buildings" - saving of ₹1002.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2110.00 lakhs) was due to non-receipt of revised drawing of construction of hostel block in Government Colleges.

(खा) "तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान – पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़" – ₹2232.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लड़कियों तथा लड़कों के छात्रावास निर्माण के लिए स्कीम को विलंब से अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Technical Education – Engineering/ Technical Colleges and Institutes - Punjab Engineering College, Chandigarh" - saving of ₹2232.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to late finalisation of scheme for construction of Girls and Boys hostel.

(III) मुख्य शीर्ष “4217” – “राज्य पूंजीगत विकास – भूमि – अर्जन” – ₹521.81 लाख की बचत (₹525.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) झुग्गियों को हटाने के बाद क्षेत्र को पुनः अतिक्रमण से बचाने के लिए स्कीम का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “4217” – “State Capital Development – Land - Acquisition” - saving of ₹521.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹525.00 lakhs) was due to non-implementation of scheme for securing the are a from re-encroachment after removal of jhuggies.

(IV) मुख्य शीर्ष “4801” – “संचरण एवं वितरण – चंडीगढ़ में बिजली का संचरण तथा वितरण – बिजली का वितरण” – ₹1040.28 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान ओवरहैड एचटी/एलटी लाइनों को अंडरग्राउंड उपकरणों में परिवर्तित करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “4801” – “Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh – Distribution of Power” - saving of ₹1040.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for strengthening of power supply for conversion of existing overhead HT/LT lines into underground equipment.

(V) मुख्य शीर्ष “5055” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(V) Under Major Head “5055” - savings occurred under the following heads:-

(का) “फ्लीट का अर्जन – चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम” – ₹2964.25 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिवहन बसों की खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) “Acquisition of Fleet – Chandigarh Transport Undertaking” - saving of ₹2964.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for purchase of transport buses.

(खा) “चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम – बस स्टैंडों का विस्तार तथा विकास” – ₹505.81 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औद्योगिक क्षेत्र चरण 3 रायपुर कलां में निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र के निर्माण के लिए ड्राइंग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) “Chandigarh Transport Undertaking – Expansion and Development of Bus Stands” - saving of ₹505.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-receipt of drawings for construction of Inspection and Certification centre at Industrial Area Phase 3 Raipur Kalan.

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹899.09 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 46 प्रतिशत और 69 प्रतिशत थीं।

(VI) Under two heads saving of ₹899.09 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 46 percent and 69 percent of the sanctioned provision.

5. (I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “4217” – “राज्य पूंजीगत विकास” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से (₹4926.17 लाख) प्रतिसंतुलित हो गईः–

5. (I) The above savings were partly (₹4926.17 lakhs) offset by excess under Major Head “4217” – “State Capital Development” under the following heads:-

(का) “निर्माण – अन्य स्कीमें” – ₹4433.17 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4433.15 लाख था।

(खा) “अन्य व्यय – अन्य विकास स्कीमें” – ₹493.00 लाख।

(II) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1099.99 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु, ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 92 प्रतिशत से 1667 प्रतिशत था।

(A) “Construction – Other Schemes”- ₹4433.17 lakhs. Actual excess, however, was ₹4433.15 lakhs.

(B) “Other Expenditure – Other Development Schemes” – ₹493.00 lakhs.

(II) Under three heads excess of ₹1099.99 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 92 percent to 1667 percent of the sanctioned provision.